पत्र संख्या–6/अग्नि0से0–01–01/2016गृ0आ0–3924/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

तारकेश्वर प्रसाद,
संयुक्त निदेशक ।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक–15 मई, 2017

विषय :– गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग में राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन करने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग में राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रमुख एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन के लिये विज्ञापन प्रारूप एवं विहित आवेदन प्रपत्र 7–7 (सात–सात) प्रतियों में (सी0डी0 सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र सूचना प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(तारकेश्वर प्रसाद)

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक–6/अग्नि0से0–01–01/2016 गृ0आ0–3924 पटना, दिनांक–15 मई, 2017

प्रतिलिपि :– महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–567/गो0, दिनांक–03.03.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक–6/अग्नि0से0–01–01/2016 गृ0आ0 4187 ....पटना, दिनांक 22 मई, 2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन प्रारूप एवं विहित आवेदन प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

19/5/2017

संयुक्त निदेशक

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

<u>विज्ञापन</u>

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग में राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग में राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के रिक्त एक पद के विरूद्ध कार्य करने हेतु सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(क) कुल पद–01 (अनारक्षित)

(ख) मासिक नियोजन भत्ता/मानदेय– नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

(ग) आवेदक की उम्र सीमा की गणना विज्ञापन की अन्तिम तिथि के आधार पर की जायेगी एवं इस तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(घ) शैक्षणिक योग्यता– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक या समकक्ष।
2. हिन्दी लिपि में हिन्दी का समुचित ज्ञान।
3. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त।

(च) अनुभवः– 1. फायर पम्प तथा इंजन आदि मरम्मत सुरक्षा का सम्यक ज्ञान आवश्यक है।
2. आवेदक का वेतनमान् सेवानिवृति के समय (पी0बी03– ₹ 15600–39100/–एवं ग्रेड वेतन–₹ 6600/–) से न्यून नहीं हो।

(छ) अन्य शर्त्तेः–

1. विज्ञापन की अंतिम तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष होगी तथा कार्यमुक्त करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

2. संविदा के आधार पर नियोजन दो वर्ष के लिए होगी तथा चयन प्रथम दो वर्षो के लिए होगी। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरांत की जा सकेगी।

3. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन की अवधि में एवं नियोजन की समाप्ति के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

5. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षो में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

6. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक की नियमित नियुक्ति (यथा–सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. इच्छुक सेवानिवृत राज्य/मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/समकक्ष सेवानिवृत्त पदाधिकारी पूर्ण विवरण के साथ टंकित आवेदन (संलग्न विहित–प्रपत्र में) हाथों–हाथ प्रशाखा–6, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा प्राप्ति की रसीद अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से प्राप्त करेंगे। आवेदन दिनांक–15.06.2017 के अपराह्न 6:00 (छः) बजे तक प्रशाखा–6, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

8. संविदा के आधार पर नियुक्ति 65 वर्ष की आयु अथवा इन पदों पर सीधी नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिये की जायेगी।

9. संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिये बिहार सरकार के सीधी नियुक्ति संबंधी आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा।

10. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता/उम्र/सेवा से संबंधित प्रमाण/कागजात की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ दो पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो तथा 10X24 से0मी0 का स्वपता लिखा लिफाफा (जिसपर ₹33 का डाक टिकट लगा हो) अवश्य संलग्न करेंगे।

11. अधूरा/अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा के पद पर नियमित नियुक्ति होने की तिथि के एक माह के बाद संविदा की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(राज्य अग्निशमन सेवाओं के सेवानिवृत व्यक्ति अथवा केन्द्रीय संगठनों के सेवानिवृत पदाधिकारी Eligible होगें)

(तारकेश्वर प्रसाद)
संयुक्त निदेशक
गृह विभाग, बिहार, पटना

सेवानिवृत राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक/मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/समकक्ष सेवानिवृत्त पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

कृपया अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें

1. आवेदक का नाम :–
2. आवेदक के पिता/पति का नाम :–
3. स्थायी पता :–
4. पत्राचार का पता :–
5. आवेदक का जन्म एवं सेवा निवृत्ति की तिथि :–
   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
6. शैक्षणिक योग्यता :–
   (शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
7. आरक्षण कोटि :–
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा।)
8. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुए है :–
   (सेवा से संबंधित प्रमाण/कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
9. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :–

10 सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतनमान/पे0 बैण्ड/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाली राशि :–

11. वर्त्तमान में पेंशन की राशि :–
12. मोबाईल नं0 :–

नोट :– आवेदन टंकित कराकर भेजा जा सकता है।

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर